

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(98/10)2016/एफसीए/प्रमुवसं/ 3514

दिनांक 21/10/22

शासन सचिव  
वन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power project (MBRAPP) - 1 to 4. (Proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016)

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन विभाग एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्रांक File No. 8-10/2022-FC दिनांक 10.06.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र भारत सरकार, पर्यावरण, वन विभाग एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्रांक File No. 8-10/2022-FC दिनांक 10.06.2022 से आलोच्य प्रकरण में सूचना चाही गई थी। जिसकी पालना मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर के पत्रांक 5991 दिनांक 22.08.2022 से प्राप्त कर निम्नानुसार सहमति के साथ प्रस्तुत हैं:-

क. सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	In the proposed forest diversion area, the presence of Agricultural land, few Settlements/built up area, plantation activities carried out in the past are visible. Moreover, the Regional Chief Conservator of Forests, Udaipur reported that plantations were done and 9725 trees exist. This needs carried out in the past 10 yrs in the proposed diverted area.	उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा प्रस्तावित वनभूमि पर पिछले 10 वर्षों में कोई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण नहीं कराया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है। (अण्डरटेकिंग संलग्न)
2	It is observed through DSS analysis that the part area of 1.01 ha. forest land within the 'Sarwan Deri B' forest block has not been included in the instant diversion proposal. Therefore, clarification in this regard may given.	उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा अवगत कराया गया है कि सरवन डेरी पार्ट -बी वनखण्ड की प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वनभूमि में से 1.01 हैक्टर वन भूमि को प्रपोजल में इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि यह भूमि चक काश्त होने से खातेदारी भूमि है जो नोटिफाईड फॉरेस्ट ब्लॉक के बीच में आती है। उक्त भूमि ग्राम सजवानिया की है जिसका खसरा नम्बर 888 है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार NPCIL के नाम दर्ज है, जिसका नक्शा संलग्न है।
3	The KML file of Non-forest land i.e. 502.67 ha. involved in the instant project has not been uploaded on PARIVESH portal. The same may be uploaded.	निर्देशानुसार के.एम.एल.फाईल को यूजर एजेंसी द्वारा निर्धारित पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। यूजर एजेंसी द्वारा अपलोड की गई Kml राजस्व नक्शे और वन विभाग की ब्लॉक फाईल के नक्शे पर आधारित है। वन विभाग की आईटी विंग द्वारा Forest website पर Kml को सही कर दिया गया है।

4	DSS analysis revealed that both the patches identified for CA in the degraded forest land (DFL) are having plantation activities and per-plantation operations like benching and contouring which were carried out in the past. This needs clarification.	उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा अवगत कराया है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ली गई परिभ्रांषित वनभूमि दो रेंजों में है जिसमें से घाटोल रेंज में वनखण्ड जगमेर जोगीमाल में DFL हेतु प्रस्तावित 200.10 हैक्टर वनभूमि मकें पूर्व में वर्ष 1991-92 में विभागीय कार्य करवाये गये थे एवं इसी प्रकार बांसवाडा रेंज में वनखण्ड बाबादेव खजूरी में DFL हेतु प्रस्तावित 86.00 हैक्टर वनभूमि में पूर्व में कोई विभागीय कार्य नहीं करवाये गए।
5	It is noticed that this is a non-site specific proposal. Therefore, three alternative sites should have been explored which is not done in this case. Therefore, the State Govt. may submit convincing justification for locating the project in the forest area without exploring other non-forest areas for this proposal.	उप वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया है कि इस प्रस्ताव हेतु अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं होने के संबंध में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में लिये निर्णय अनुसार जिला कलक्टर, बांसवाडा के द्वारा प्रमाण पत्र (संलग्न) जारी किया गया है। जिससे वनमण्डल बांसवाडा द्वारा अपनी सहमति से भिजवाया गया है।
6	It is not clear whether R&R Plan has been approved by competent authority. The same may be clarified.	उप वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर औचित्यपूर्ण एवं सही है। साथ ही यूजर एजेंसी द्वारा प्रेषित पत्रांक 158 दिनांक 30.6.2022 की प्रति भी संलग्न है।

संलग्न:- उक्तानुसार

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(98/10)2016/एफसीए/प्रमुवसं/

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

दिनांक

( राजेन्द्र कुमार गुप्ता )

सहायक वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

email: [ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in](mailto:ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in); Tel.no. 0294-2424748; 0294-2418137

कमांक एफ 5 ( ) मुवसं/तकनिकी/वसु/2022-23/ 5991

दिनांक :- 22/8/2022

निमित्त,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए),  
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCL for  
Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power project (MBRAPP) - 1 to 4.  
(online proposal No. Fp/RJ/Others/22621/2016).

संदर्भ :- भारत सरकार के EDS दिनांक 10 जून, 2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित EDS से भारत सरकार द्वारा आलौच्य प्रकरण में बिन्दुवार प्रत्युत्तर चाहा गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा उनके पत्रांक एफ प.14(0) एफसीए./2021/4355 दिनांक 19.07.2022 एवं 4531 दिनांक 04.08.2022 से बिन्दुवार प्रत्युत्तर तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उप वन संरक्षक, बांसवाडा से प्राप्त प्रत्युत्तर इस कार्यालय की सहमति के साथ निम्नानुसार प्रेषित है।

क. सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	In the proposed forest diversion area, the presence of Agricultural land, few Settlements/built up area, plantation activities carried out in the past are visible. Moreover, the Regional Chief Conservator of Forests, Udaipur reported that plantations were done and 9725 trees exist. This needs carried out in the past 10 years in the proposed diverted area.	उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा प्रस्तावित वनभूमि पर पिछले 10 वर्षों में कोई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण नहीं कराया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है। (अण्डरटेकिंग संलग्न)
2	It is observed through DSS analysis that the part area of 1.01 ha. forest land within the 'Sarwan Deri B' forest block has not been included in the instant diversion proposal. Therefore, clarification in this regard may given.	उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा अवगत कराया गया है कि सरवन डेरी पार्ट -बी वनखण्ड की प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वनभूमि में से 1.01 हैक्टर वन भूमि को प्रपोजल में इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि यह भूमि चक काश्त होने से खातेदारी भूमि है जो नोटिफाईड फॉरेस्ट ब्लॉक के बीच में आती है। उक्त भूमि ग्राम सजवानिया की है जिसका खसरा नम्बर 888 है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार NPCIL के नाम दर्ज है, जिसका नक्शा संलग्न है।
3	The KML file of Non-forest land i.e. 502.67 ha. involved in the instant project has not been uploaded on PARIVESH portal.	निर्देशानुसार के.एम.एल.फाईल को यूजर एजेंसी द्वारा निर्धारित पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। यूजर एजेंसी द्वारा अपलोड की गई Kml राजस्व नक्शे और वन विभाग की ब्लॉक फाईल के नक्शे पर आधारित है। वन विभाग की आईटी विंग द्वारा Forest website पर

78/10

1315  
21/9/22


FCA  
01/09  
08/09/22

1556  
8/9/22

	The same may be uploaded.	Kml जी.टी. शीट पर आधारित है, जो वन विभाग की ब्लॉक फाईल के नक्शों की सर्वे से बनी kml के साथ मेल नहीं खा रही है। Forest website पर kml को ठीक करने के लिए उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा उनके उनके पत्रांक 4523 दिनांक 04.8.2022 (प्रति संलग्न) से उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्राद्यौगिकी, राजस्थान जयपुर को पत्र लिखा गया है। इसे सही कराया जा रहा है।(प्रति संलग्न)
4	DSS analysis revealed that both the patches identified for CA in the degraded forest land (DFL) are having plantation activities and per-plantation operations like benching and contouring which were carried out in the past. This needs clarification.	उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा अवगत कराया है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ली गई परिभ्रांषित वनभूमि दो रेंजों में है जिसमें से घाटोल रेंज में वनखण्ड जगमेर जोगीमाल में DFL हेतु प्रस्तावित 200.10 हैक्टर वनभूमि मकें पूर्व में वर्ष 1991-92 में विभागीय कार्य करवाये गये थे एवं इसी प्रकार बांसवाडा रेंज में वनखण्ड बाबादेव खजूरी में DFL हेतु प्रस्तावित 86.00 हैक्टर वनभूमि में पूर्व में कोई विभागीय कार्य नहीं करवाये गए।
5	It is noticed that this is a non-site specific proposal. Therefore, three alternative sites should have been explored which is not done in this case. Therefore, the State Govt. may submit convincing justification for locating the project in the forest area without exploring other non-forest areas for this proposal.	उप वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया है कि इस प्रस्ताव हेतु अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं होने के संबंध में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में लिये निर्णय अनुसार जिला कलक्टर, बांसवाडा के द्वारा प्रमाण पत्र (संलग्न) जारी किया गया है। जिससे वनमण्डल बांसवाडा द्वारा अपनी सहमति से भिजवाया गया है।
6	It is not clear whether R&R Plan has been approved by competent authority. The same may be clarified.	उप वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर औचित्यपूर्ण एवं सही है। साथ ही यूजर एजेंसी द्वारा प्रेषित पत्रांक 158 दिनांक 30.6.2022 की प्रति भी संलग्न है।

प्रकरण में उपरोक्तानुसार आक्षेप पूर्ति कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
 संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(आर.के.जैन)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
 उदयपुर।

दिनांक :-

क्रमांक एफ 5 ( ) मुवसं/वसु/2022-23/

उप वन संरक्षक, बांसवाडा को उनके पत्रांक 4355 दिनांक 19.7.2022 एवं 4531 दिनांक 04.8.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।



संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
 उदयपुर।

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

दिनांक- 19.07.22

क्रमांक- 14( ) एफ सी ए. / उवस / 2021 / 4355

विभाग  
विभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदायपुर।



विषय - Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4. (online proposal No. FP RJ Others 22621 2016)

सन्दर्भ - Government of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change (FC Division) File No. 8-10/2022-FC EDS Dated 10.06.2022

उपरोक्त विषयातर्गत निवेदन है कि विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में सन्दर्भित EDS Dated 10-06-2022 के क्रम में यूजर एजेन्सी के पत्रांक 158 दिनांक 30.06.2022 (प्रति संलग्न) के अनुसार बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :-

- 1- In the proposal forest diversion, the presence of Agricultural land, few Settlements/built up area, plantation activities, carried out in the past are visible. Moreover the Regional Chief Conservator of Forests, Udaipur reported that plantation were done and 9725 trees exist. This needs clarification along with an undertaking that no compensatory afforestation work has been carried out in the past 10 years in the proposed diverted area.  
प्रत्युत्तर- यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वन भूमि पर पिछले 10 वर्षों में कोई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण नहीं करवाया गया है। (अण्डरटेकिंग संलग्न)
- 2- It is Observed through DSS analysis that the part area of 1.01 ha. forest land within the Sarwan Deri B forest block has not been included in the instant diversion proposal. Therefore clarification in this regard may be given.  
प्रत्युत्तर- सरवन डेरी पार्ट बी वनखण्ड की प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वन भूमि में से 1.01 हेक्टर वन भूमि को प्रपोजल में इसलिए नहीं लिया गया है चूंकि यह भूमि चक काश्त होने से खातेदारी भूमि है जो नोटिफाइड फॉरेस्ट ब्लॉक के बीच में आती है। उक्त भूमि ग्राम सजवानिया की है जिसका खसरा नम्बर 888 है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार NPCIL के नाम दर्ज है। (नक्शा संलग्न है)
- 3- The KMI file of Non Forest land i.e 502.67 ha involved in the instant project has not been uploaded on PARIVESH portal, the same may be uploaded.  
प्रत्युत्तर- निर्देशानुसार के एम एल फाइल को यूजर एजेन्सी द्वारा निर्धारित पोर्टल पर अपलोड कर दिया है।
- 4- DSS analysis revealed that both the patches identified for CA in the degraded forest land (DFL) are having plantation activities and per plantation operations like benching and contouring which were carried out in the past. This need clarification.

प्रत्युत्तर- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ली गई परिभाषित वन भूमि दो रेंजों में है जिसमें से घाटोल रेंज में वनखण्ड जगमेर जोगीमाल में DFL हेतु प्रस्तावित 200.10 हेक्टर वन भूमि में पूर्व में वर्ष 1991-92 में विभागीय कार्य करवाये गये थे- एवं इसी प्रकार बांसवाड़ा रेंज में वनखण्ड बाबादेव

क्रमशः 2 पर

D:\FCA\Mayank\NPCIL\NPCIL.docx

FCA  
21/7/22  
put up  
21/7  
R

खजूरी में DFL हेतु प्रस्तावित 86.00 हेक्टर वन भूमि में पूर्व में कोई विभागीय कार्य नहीं करवाये गये हैं।

5- It is noticed that this is a non specific proposal. Therefore, three alternative sites should have been explored which is not done in this case. Therefore the State Govt. may submit convincing justification for locating the project in the forest area without exploring other non-forest areas for this proposal.

प्रत्युत्तर बिन्दु संख्या 5 का प्रत्युत्तर यूजर एजेन्सी के पत्रांक 158 दिनांक 30.06.2022 से प्रेषित कर दिया है जिसकी प्रति संलग्न है।

6- It is not clear whether R & R plan has been approved by competent authority the same may be clarified.

प्रत्युत्तर-बिन्दु संख्या 6 का प्रत्युत्तर यूजर एजेन्सी के पत्रांक 158 दिनांक 30.06.2022 से प्रेषित कर दिया है जिसकी प्रति संलग्न है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,  
(जिग्नेश शर्मा)  
उप वन संरक्षक,  
बांसवाड़ा

क्रमांक प 14( ) एफ.सी.ए./उवसं/2021/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, माही बांसवाड़ा, राजस्थान, एटोमिक पावर प्रोजेक्ट, NPCIL, बांसवाड़ा।

उप वन संरक्षक,  
बांसवाड़ा



विभाग की वेबसाइट पर वर्तमान उपकरण डेटा प्राप्त की की KML को सही करने हेतु इस कार्यवाही के संकेत द्वारा प्राण देल, सननासिमा एवं कर्त के ब्लॉक फॉर्मल के नक्शे में गोठे पर निम्नानुवर्ती कर G.O. 15 बेबर IT प्रकाश, संयुक्त को KML केवल भर थी। Index में काले रंग को दर्शाया गये गये जो सही है। इस वर्तमान के आधे भाग में सही डेटा प्राप्त करा जिसे सही कर लाल रंग में दर्शाया गया है जो सही है। इस वर्तमान के आधे भाग में सही डेटा प्राप्त करा है जो के शाला डूरे वर्तमान का सर्वे कार्य नहीं किया जा सके।

डि. प्रो. मोहन  
 सचिव  
 विभागाध्यक्ष, सारवान  
 जल संसाधन, सरकार

**Legend**

- NEW BLOCK BOUNDARY (As per using part KML provided)
- OLD BLOCK BOUNDARY



75  
आजादी का  
अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

## कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चैतक सर्किल, उदयपुर-313001

email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; 0294-2418137

कमांक एफ 5 ( ) मुवस/तकनीकी/वसु/2022-23/ 5991

दिनांक :- 22/8/2022

निमित्त,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए),  
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power project (MBRAPP) - 1 to 4. (online proposal No. Fp/RJ/Others/22621/2016).

संदर्भ :- भारत सरकार के EDS दिनांक 10 जून, 2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित EDS से भारत सरकार द्वारा आलौच्य प्रकरण में बिन्दुवार प्रत्युत्तर चाहा गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा उनके पत्रांक एफ प.140 एफसीए./2021/4355 दिनांक 19.07.2022 एवं 4531 दिनांक 04.08.2022 से बिन्दुवार प्रत्युत्तर तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उप वन संरक्षक, बांसवाडा से प्राप्त प्रत्युत्तर इस कार्यालय की सहमति के साथ निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र. सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	In the proposed forest diversion area, the presence of Agricultural land, few Settlements/built up area, plantation activities carried out in the past are visible. Moreover, the Regional Chief Conservator of Forests, Udaipur reported that plantations were done and 9725 trees exist. This needs carried out in the past 10 yrs in the proposed diverted area.	उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा प्रस्तावित वनभूमि पर पिछले 10 वर्षों में कोई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण नहीं कराया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है। (अण्डरटेकिंग संलग्न)
2	It is observed through DSS analysis that the part area of 1.01 ha. forest land within the 'Sarwan Deri B' forest block has not been included in the instant diversion proposal. Therefore, clarification in this regard may given.	उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा अवगत कराया गया है कि सरवन डेरी पार्ट -बी वनखण्ड की प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वनभूमि में से 1.01 हेक्टेयर वन भूमि को प्रपोजल में इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि यह भूमि चक काश्त होने से खातेदारी भूमि है जो नोटिफाईड फॉरेस्ट ब्लॉक के बीच में आती है। उक्त भूमि ग्राम सजवानिया की है जिसका खसरा नम्बर 888 है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार NPCIL के नाम दर्ज है, जिसका नक्शा संलग्न है।
3	The KML file of Non-forest land i.e. 502.67 ha. involved in the instant project has not been uploaded on PARIVESH portal.	निर्देशानुसार के.एम.एल.फाईल को यूजर एजेंसी द्वारा निर्धारित पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। यूजर एजेंसी द्वारा अपलोड की गई Kml राजस्व नक्शे और वन विभाग की ब्लॉक फाईल के नक्शे पर आधारित है। वन विभाग की आईटी विंग द्वारा Forest website पर





श.व.र.  
श्रीपथि योजना



आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

<p>The same may be uploaded.</p>	<p>Kml जी.टी. शीट पर आधारित है, जो वन विभाग की ब्लॉक फाईल के नक्शों की सर्वे से बनी kml के साथ मेल नहीं खा रही है। Forest website पर kml को ठीक करने के लिए उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा उनके उनके पत्रांक 4523 दिनांक 04.8.2022 (प्रति संलग्न) से उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रादौगिकी, राजस्थान, जयपुर को पत्र लिखा गया है। इसे सही कराया जा रहा है।(प्रति संलग्न)</p>
<p>4 DSS analysis revealed that both the patches identified for CA in the degraded forest land (DFL) are having plantation activities and per-plantation operations like benching and contouring which were carried out in the past. This needs clarification.</p>	<p>उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा अवगत कराया है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ली गई परिभाषित वनभूमि दो रेंजों में है जिसमें से घाटोल रेंज में वनखण्ड जगमेर जोगीमाल में DFL हेतु प्रस्तावित 200.10 हैक्टर वनभूमि मर्के पूर्व में वर्ष 1991-92 में विभागीय कार्य करवाये गये थे एवं इसी प्रकार बांसवाडा रेंज में वनखण्ड बाबादेव खजूरी में DFL हेतु प्रस्तावित 86.00 हैक्टर वनभूमि में पूर्व में कोई विभागीय कार्य नहीं करवाये गए।</p>
<p>5 It is noticed that this is a non-site specific proposal. Therefore, three alternative sites should have been explored which is not done in this case. Therefore, the State Govt. may submit convincing justification for locating the project in the forest area without exploring other non-forest areas for this proposal.</p>	<p>उप वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया है कि इस प्रस्ताव हेतु अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं होने के संबंध में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में लिये निर्णय अनुसार जिला कलक्टर, बांसवाडा के द्वारा प्रमाण पत्र (संलग्न) जारी किया गया है। जिससे वनमण्डल बांसवाडा द्वारा अपनी सहमति से भिजवाया गया है।</p>
<p>6 It is not clear whether R&amp;R Plan has been approved by competent authority. The same may be clarified.</p>	<p>उप वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर औचित्यपूर्ण एवं सही है। साथ ही यूजर एजेंसी द्वारा प्रेषित पत्रांक 158 दिनांक 30.6.2022 की प्रति भी संलग्न है।</p>

प्रकरण में उपरोक्तानुसार आक्षेप पूर्ति कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर.के.जैन)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।

दिनांक -

क्रमांक एफ 5 ( ) मुवसं/वसु/2022-23/

उप वन संरक्षक, बांसवाडा को उनके पत्रांक 4355 दिनांक 19.7.2022 एवं 4531 दिनांक 04.8.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।

**Full Title of the Project :** Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara,Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4.(online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016)


Proposal No. : FP/RJ/Others/22621/2016  
Date of Proposal : 2016

**In reference to condition no. 1, imposed by the MOEF & CC, New Delhi  
UNDERTAKING FOR THE NO COMPENSATORY  
AFFORESTATION WORK HAS BEEN CARRIED OUT IN  
THE PAST 10 YEARS IN THE PROPOSED**

It is certify that I **Jignesh Sharma Deputy Conservator Of Forest,Division, Banswara (Rajasthan)** has verified that user agency NPCIL applied diversion of **100.05 ha. of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1to4.(online proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016).**


I hereby giving an undertaking that no compensatory afforestation work has been carried out in the past 10 years in the proposed diverted area.

Place : Banswara  
Date : 19.07.2022

  
(Jignesh Sharma)  
Deputy Conservator of  
forest,Banswara

# मौजा - सजवामिया

बारी



MBRAPP PLANT BOUNDARY


रेल

- chak Kasht in forest
- FOREST BOUNDARY
- NPCIL BOUNDARY

*[Handwritten signature]*

19/7/20  
जिगनेश शर्मा  
उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

पैमाना की दूरी २ जरीब व जरीब १३२ फीट



देवा कुमिन्द  
वास्तुशिल्पी

Checked by  
[Signature]  
28-7-76

28-7-76



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)  
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सजवानिया  
पटवार हल्का :- बारी  
भू.अभि.नि. :- कटुम्बी  
तहसील :- छोटी-सरवन  
जिला :- बाँसवाड़ा

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 ( वर्ष 2019 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 115  
खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम:-

1. न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) माही बाँसवाड़ा राजस्थान गेटोमिक पावर प्रोजेक्ट। हिस्सा-  
पूर्ण विभाग,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1007/801	0.0566	उद्योग	0.0566		स्वीकृत नामांतरकरण : 357 03/09/2019 आवंटन	
1008/803	0.0647	उद्योग	0.0647		स्वीकृत नामांतरकरण : 358 11/10/2019 भूमि-अवाप्ति	
1009/805	0.1537	उद्योग	0.1537		स्वीकृत नामांतरकरण : 360 20/11/2019 भूमि-अवाप्ति	
1030/928	0.0081	उद्योग	0.0081		स्वीकृत नामांतरकरण : 363 14/02/2020 भूमि-अवाप्ति	
1035/978	0.3398	उद्योग	0.3398		स्वीकृत नामांतरकरण : 365 23/07/2020 भूमि-अवाप्ति	
1079/789	0.0485	उद्योग	0.0485		स्वीकृत नामांतरकरण : 370 23/03/2021 भूमि-अवाप्ति	
1090/883	0.0243	उद्योग	0.0243		स्वीकृत नामांतरकरण : 373 09/04/2021 भूमि-अवाप्ति	
1091/884	0.1861	उद्योग	0.1861		स्वीकृत नामांतरकरण : 382 11/11/2021 भूमि-अवाप्ति	
1092/885	0.3802	उद्योग	0.3802		स्वीकृत नामांतरकरण : 384 04/02/2022 भूमि-अवाप्ति	
1093/780	0.1780	उद्योग	0.1780			
1094/848	0.1214	उद्योग	0.1214			
1095/785	0.1133	उद्योग	0.1133			
1096/786	0.0890	उद्योग	0.0890			
1097/882	0.0162	उद्योग	0.0162			
1098/778	0.0324	उद्योग	0.0324			
1099/812	0.1942	उद्योग	0.1942			
1101/834	0.0081	उद्योग	0.0081			
1103/849	0.0647	उद्योग	0.0647			
1105/850	0.0243	उद्योग	0.0243			
1107/846	0.1294	उद्योग	0.1294			
1109/782	0.1052	उद्योग	0.1052			
781	0.0243	उद्योग	0.0243			
787	0.1861	उद्योग	0.1861			
788	0.0971	उद्योग	0.0971			
789	0.0485	उद्योग	0.0485			
790	0.1618	उद्योग	0.1618			
791	0.2993	उद्योग	0.2993			
792	0.2346	उद्योग	0.2346			
793	0.3721	उद्योग	0.3721			
794	0.0485	उद्योग	0.0485			
795	0.0809	उद्योग	0.0809			
796	0.2265	उद्योग	0.2265			
797	0.1942	उद्योग	0.1942			

*Handwritten signature*  
Maya Gupta  
Dy. CE, NPCIL



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)  
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सजवानिया  
पटवार हल्का :- बारी  
भू.अभि.नि. :- कटुम्बी  
तहसील :- छोटी-सरवन  
जिला :- बाँसवाड़ा

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 ( वर्ष 2019 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 115  
खाता संख्या पुराना :- 1

798	0.1375	उद्योग	0.1375
799	0.3641	उद्योग	0.3641
800	0.2265	उद्योग	0.2265
801	0.6472	उद्योग	0.6472
802	0.0405	उद्योग	0.0405
803	0.1375	उद्योग	0.1375
804	0.1375	उद्योग	0.1375
805	0.2265	उद्योग	0.2265
806	0.0485	उद्योग	0.0485
809	0.1052	उद्योग	0.1052
810	0.2912	उद्योग	0.2912
811	0.0081	उद्योग	0.0081
825	0.0485	उद्योग	0.0485
835	0.1052	उद्योग	0.1052
836	0.0485	उद्योग	0.0485
837	0.0485	उद्योग	0.0485
838	0.0566	उद्योग	0.0566
बैंक वाटर			
839	0.0324	उद्योग	0.0324
840	0.2346	उद्योग	0.2346
841	0.0324	उद्योग	0.0324
842	0.1214	उद्योग	0.1214
843	0.0728	उद्योग	0.0728
844	0.3883	उद्योग	0.3883
845	0.2912	जंगल	0.2912 0.15
886	0.3560	उद्योग	0.3560
888	1.0113	उद्योग	1.0113
890	0.0162	उद्योग	0.0162
891	0.0162	उद्योग	0.0162
892	0.8090	उद्योग	0.8090
893	0.0971	उद्योग	0.0971
894	0.0243	उद्योग	0.0243
895	0.0081	उद्योग	0.0081
896	0.0081	उद्योग	0.0081
897	0.2103	उद्योग	0.2103
898	0.6148	उद्योग	0.6148
899	0.1375	उद्योग	0.1375
900	0.0728	उद्योग	0.0728

*Maya Gupta*  
Dy. CE. NPCIL



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)  
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सजवानिया  
पटवार हल्का :- बारी  
भू.अभि.नि. :- कटुम्बी  
तहसील :- छोटी-सरवन  
जिला :- बाँसवाड़ा

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 ( वर्ष 2019 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 115  
खाता संख्या पुराना :- 1

901	1.2297	उद्योग	1.2297
902	0.0809	उद्योग	0.0809
903	0.0081	उद्योग	0.0081
904	0.1618	उद्योग	0.1618
905	0.1294	उद्योग	0.1294
906	0.0243	उद्योग	0.0243
907	0.0647	उद्योग	0.0647
909	0.0890	उद्योग	0.0890
910	0.0162	उद्योग	0.0162
911	0.0405	उद्योग	0.0405
912	0.0162	उद्योग	0.0162
913	1.1811	उद्योग	1.1811
918	0.2589	उद्योग	0.2589
921	0.2184	उद्योग	0.2184
922	0.1052	उद्योग	0.1052
923	0.2508	उद्योग	0.2508
924	0.1699	उद्योग	0.1699
925	0.9465	उद्योग	0.9465
926	0.2832	उद्योग	0.2832
927	0.5582	उद्योग	0.5582
928	0.2184	उद्योग	0.2184
929	0.0566	उद्योग	0.0566
930	0.0324	उद्योग	0.0324
931	0.2184	उद्योग	0.2184
932	0.0081	उद्योग	0.0081
933	0.2427	उद्योग	0.2427
935	0.0162	उद्योग	0.0162
936	0.0162	उद्योग	0.0162
937	0.3802	उद्योग	0.3802
938	0.0647	उद्योग	0.0647
939	0.1294	उद्योग	0.1294
940	0.0890	उद्योग	0.0890
941	0.3479	उद्योग	0.3479
942	0.2670	उद्योग	0.2670
943	0.2103	उद्योग	0.2103
944	0.2184	उद्योग	0.2184
945	0.2670	उद्योग	0.2670
946	0.3641	उद्योग	0.3641



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)  
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सजवानिया  
पटवार हल्का :- बारी  
भू.अभि.नि. :- कटुम्बी  
तहसील :- छोटी-सरवन  
जिला :- बाँसवाड़ा

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 ( वर्ष 2019 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 115  
खाता संख्या पुराना :- 1

947	0.1780	उद्योग	0.1780
948	0.0647	उद्योग	0.0647
949	0.3317	उद्योग	0.3317
950	0.2993	उद्योग	0.2993
951	0.0809	उद्योग	0.0809
952	0.0162	उद्योग	0.0162
953	0.6391	उद्योग	0.6391
954	0.2265	उद्योग	0.2265
955	0.6715	उद्योग	0.6715
958	0.2346	उद्योग	0.2346
959	0.0809	उद्योग	0.0809
960	0.0971	उद्योग	0.0971
961	0.2589	उद्योग	0.2589
962	0.2670	उद्योग	0.2670
963	0.2346	उद्योग	0.2346
964	0.1942	उद्योग	0.1942
965	0.1456	उद्योग	0.1456
966	0.1294	उद्योग	0.1294
967	0.1375	उद्योग	0.1375
968	0.4450	उद्योग	0.4450
969	0.1456	उद्योग	0.1456
971	0.0809	उद्योग	0.0809
972	0.0324	उद्योग	0.0324
973	0.0405	उद्योग	0.0405
974	0.1861	उद्योग	0.1861
975	0.1133	उद्योग	0.1133
976	0.4935	उद्योग	0.4935
977	0.0890	उद्योग	0.0890
978	0.1294	उद्योग	0.1294
979	0.3964	वै.तृतीय	0.3964 0.10
980	0.2023	उद्योग	0.2023
981	0.2427	उद्योग	0.2427
982	0.6472	उद्योग	0.6472
983	0.1133	उद्योग	0.1133
986	0.5339	उद्योग	0.5339
987	0.0809	उद्योग	0.0809
989	0.4045	उद्योग	0.4045
990	1.2216	उद्योग	1.2216



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)  
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सजवानिया  
पटवार हल्का :- बारी  
भू.अभि.नि. :- कटुम्बी  
तहसील :- छोटी-सरवन  
जिला :- बाँसवाड़ा

अंतिम चौसाला आधार सम्बत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 ( वर्ष 2019 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 115  
खाता संख्या पुराना :- 1

991	0.1456	उद्योग	0.1456
993	0.6634	उद्योग	0.6634
994	0.1537	उद्योग	0.1537
996	0.0566	उद्योग	0.0566
997	0.2023	उद्योग	0.2023
998	0.1133	उद्योग	0.1133

कुल खसरे - 152 31.7456 31.7456 0.2500

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 19-Sep-2022

**NIC**



# कार्यालय जिला कलेक्टर बांसवाडा (राज.)

क्रमांक/राजस्व/477 (476) 280/2017/3942

दिनांक :- 1/12/2017

मुख्य अभियन्ता  
एन.पी.सी.आई.एल. बांसवाडा।

विषय:- वन विभाग की भूमि का अकृषि परियोजनार्थ उपयोग हेतु डाईवर्जन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम आडीभीत, कटुम्बी, रेल, बारी व सजवानिया में स्थापित होने वाले 4 गुणा 700 मेगावाट एन.पी.सी.आई.एल. प्रोजेक्ट में आने वाली वन विभाग की भूमि रकबा 455.15 बीघा (73.77 हैक्टेयर) के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 27-04-2017 तथा प्रोजेक्ट हेतु वाटर कारिडोर की स्थापना में ग्राम बारी, लालपुरा एवं वॉक की वन विभाग की भूमि 162.02 बीघा (26.35 हैक्टेयर) की बैठक दिनांक 28-11-2017 को आयोजित की जाकर कुल रकबा 100.12 (73.77+26.35) हैक्टेयर का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

अतः उक्त प्रमाण पत्र एवं बैठक कार्यवाही विवरण मय सलंगन कागजात वास्ते आवश्यक कार्यवाही भिजवाये जा रहे हैं।

- सलंगन :- 1 डाईवर्जन हेतु प्रमाण पत्र।  
2 जिला स्तरीय वनाधिकार की बैठक कार्यवाही विवरण।  
3 सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव।

प्रतिलिपि :-

1. उप वन संरक्षक वन विभाग बांसवाडा।

जिला कलेक्टर  
बांसवाडा (राज.)  
शिक्षा  
कक्षा

जिला कलेक्टर  
भयवांसवीडा (राज.)  
जिला कलेक्टर  
बांसवाडा



FORM-II  
( for project other than linear projects )  
Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR BANSWARA (RAJASTHAN)

No. 3943

Dated... 1.12.2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted in for non-forest purposed, it is certified the 73.77 Hect. for project and 26.35 Hect. Land for water corridor total 100.12 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of NPCIL Banswara for establishment of Nuclear Power Project in Banswara district falls within Jurisdiction of Bari, Sajwaniya Adibhit, Katumbi, Rail, Lalpura and Wank village(s) in Chotiservan tehsil.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 100.12 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights committee(s). Gram Sabah(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure... 1. .... to 69... annexure .....
- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabah of forest-dwellers, who are eligible under the FRA,
- the each of concerned Gram Sabah(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabah of Napla, Bari and Katumbi village(s) enclosed as annexure... 1. 70. 69
- the discussion and decisions of such proposals and taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the member 54s of Gran Sabah present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabah have given their consent to it;
- the rights of Primitive Tribal Group and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl: As above

P.c. Attested

उप वन सहायक,  
बंसवारा

Signature  
District Collector  
Banswara (Rajasthan)  
अगवती प्रसाद  
जिला कलेक्टर  
बंसवारा


# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसरवन बांसवाडा (राज.)

क्रमांक/राजस्व/2016/ 443

दिनांक :-26-10-2016

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यूजर वरिष्ठ अधिशाषी अभियन्ता माही बांसवाडा न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड बांसवाडा द्वारा जिला बांसवाडा की तहसील छोटीसरवन के ग्राम आडीभीत, कटुम्बी, रेल, बारी, सजवानिया में स्थापित किये जाने वाले परमाणु बिजलीघर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बारी के ग्राम पंचायत नापला के ग्राम रेल, ग्राम पंचायत बारी के ग्राम बारी एवं सजवानिया तथा ग्राम पंचायत कटुम्बी के ग्राम कटुम्बी व आडीभीत रेन्ज बांसवाडा के अधीन वन खण्ड सरवन, डेरी पार्ट-ए एव बी के विभिन्न खसरा नम्बरों की 532.15 बीघा भूमि में से 455.19 बीघा वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई 455.19 बीघा वन भूमि के अलावा अन्य कोई गैर वन भूमि इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है जो यूजर एजेन्सी को वन भूमि पर परमाणु बिजलीघर का निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जा सके।

  
उपखण्ड अधिकारी  
छोटीसरवन

राजस्थान सरकार  
उर्जा विभाग

29/8/15

क्रमांक प 16(6)उर्जा/12

जयपुर, दिनांक 29.08.2015

जिला कलक्टर,  
बांसवाडा

DIC-Rev  
29/8/15

विषय:-सार्वजनिक प्रयोजनार्थ माही बांसवाडा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट  
4X700 मेगावाट परियोजना हेतु निजी खाते की अवाप्त योग्य भूमि का  
हितबद्ध व्यक्तियों को देय मुआवजा राशि के अर्वाड के अनुमोदन करने  
बाबत।

होदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र क्रमांक एफ 4 (4)राज/2014/ 3513-19 दिनांक  
22 08.2015 के द्वारा प्राप्त अर्वाड माही बांसवाडा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट 4X700 मेगावाट  
परियोजना हेतु तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा के ग्राम बारी, रेल, आडिभीत,  
कटूमबी, सजवानिया व तहसील अम्बापुरा के ग्राम ख्राण्डियादेव की निजी खातेदारी अवाप्त  
योग्य भूमि 2684.16 बीघा जिसमें निजी खातेदारी एवं गैर खातेदारी भूमि सम्मिलित है, का  
हितबद्ध व्यक्तियों को देय मुआवजा राशि रूपये 4159352128/- (अक्षरे रूपये चार अरब  
पन्द्रह करोड तिरानवे लाख बावन हजार एक सौ अठाइस मात्र) के अन्तिम अर्वाड का  
निदेशानुसार अनुमोदन किया जाता है।

अतः मूल अर्वाड संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

*(Signature)*

(गोपाल जसोरिया)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- भूमि अवाप्ति अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) बांसवाडा को उनके द्वारा  
जिला कलक्टर बांसवाडा को प्रेषित पत्र क्रमांक 904-9 दिनांक  
21.08.2015 के क्रम में प्रेषित है।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार  
ऊर्जा विभाग

स्मरण पत्र

क्रमांक: प.16(6)ऊर्जा/2012

जयपुर दिनांक: 25 MAY 20

उपखण्ड अधिकारी,  
(भूमि अवाप्ति अधिकारी),  
बांसवाड़ा।

विषय: - सार्वजनिक प्रयोजनार्थ माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट 4X700 मेगावाट परियोजना हेतु निजी खाते की अवाप्त योग्य भूमि का हितबद्ध व्यक्तियों को देय मुआवजा राशि के अवार्ड के संबंध में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत समसंख्यक पत्र दिनांक 10.05.2016 की ओर ध्यान आकर्षित कर निर्देशानुसार लेख है कि आपके पत्र क्रमांक अवाप्ति/2014/SP-1 दिनांक 25.04.2016 के क्रम में माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट 4X700 के निर्माण हेतु भूमि के मुआवजा राशि परिशिष्ट "क" और आरएण्डआर को विवरण परिशिष्ट "ख" के अनुसार हितबद्ध व्यक्तियों को राशि भुगतान करने की राज्य सरकार की स्वीकृति निम्नांकित विवरण के अनुसार प्रदान की गई थी:-

	रूपयें
1. भूमि के अवार्ड की मुआवजा राशि	2811021505/-
2. पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की मुआवजा	1342048000/-
3. पुंजीगत मूल्य	200300/-
4. कुल अवार्ड राशि	4153269805/-
5. पूर्व में अनुमोदित अवार्ड की कुल राशि	4159352128/-
6. शेष राशि	6082323/-

राज्य सरकार द्वारा अंतिम अनुमोदित अवार्ड की शेष राशि रु. 6082323/- (अक्षरे रूपयें सात लाख बयासी हजार तीन सौ तेईस मात्र) भविष्य के लिये अवार्ड से सम्बन्धित किसी भी कार्य हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी के खाते में जमा रहेगी। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अंतिम अवार्ड की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर राज्य सरकार को की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु लिखा गया था जो लगभग एक वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी की गई कार्यवाही रिपोर्ट आज तक अपेक्षित है।

अतः उपरोक्तानुसार ~~कार्यवाही कर~~ की गई कार्यवाही से अविलम्ब अवगत कराने का श्रम करें।

भधदीय,  
  
(गोपाल जसोरिया)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- जिला कलक्टर, बांसवाड़ा को उनके पत्र क्रमांक 382 दिनांक 18.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित है।

शासन उप सचिव



न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
Nuclear Power Corporation of India Limited

# न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड Nuclear Power Corporation of India Limited (भारत सरकारका एकउद्यम Government of India Enterprise)

## माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल, आडीभीत तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327000  
P.O. Napla, village Rel, Adibheet The. Choti Sarwan Banswara, PIN 327000  
(ई-मेल-मेल mbrappnpcil@gmail.com)

No. NPCIL/MBRAPP/2022/158

Dtd:- 30-06-2022

उप वन संरक्षक  
बांसवाड़ा।

विषय :- माही बांसवाड़ा राजस्थान एटोमिक पावर प्रोजेक्ट, बांसवाड़ा की स्थापना हेतु 100.5 हैक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में आक्षेप की पूर्ति करने बाबत।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक प.14 ( ) एफ.सी.ए./उवसं/2021/3805 दिनांक 24-06-2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है, कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार (एफ.सी. डिवीजन) के पत्र दिनांक 10-06-2022 में उल्लेखित बिन्दु संख्या 3, 5 एवं 6 का सम्बन्ध इस कार्यालय से है, जिसके सम्बन्ध में बिन्दुवा सूचना निम्नानुसार है :-

**बिन्दु संख्या 3 :-** निर्देशानुसार के.एम.एल. फाईल को निर्धारित पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

**बिन्दु संख्या 5 :-** माही बांसवाड़ा राजस्थान एटोमिक पावर प्रोजेक्ट, बांसवाड़ा का चयन केन्द्र सरकार के अन्तर्गत परमाणु उद्योग विभाग की साईट चयन समिति द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट क्षेत्र में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित 100.05 हैक्टेयर वन भूमि के अलावा अन्य कोई गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी छोटीसरवन द्वारा उनके पत्रांक राजस्व/2016/44 दिनांक 26-10-2016 द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है, (छाया प्रति सलंगन है)। अतः प्रोजेक्ट के लिये प्रस्तावित वन भूमि का प्रत्यावर्तन करना अति आवश्यक है।

**बिन्दु संख्या 6 :-** आर. एण्ड आर. प्लान एवं अवार्ड का अनुमोदन राजस्थान सरकार उर्जा विभाग के पत्रांक प-16 (6) उर्जा/2015 जयपुर दिनांक 29-08-2015 एवं पुनः पत्र दिनांक 25-05-2016 से प्राप्त हो गया है, (छाया प्रति सलंगन है)। जिसमें अनुमोदित राशि का अब तक 99.9 प्रतिशत भाग वितरित कर दिया गया है, और हितबद्ध व्यक्तियों के लिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु आर. एण्ड आर. कॉलोनी का निर्माण कार्य भी 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

**सलंगन :- उपरोक्तानुसार।**

*[Signature]*  
30.6.2022  
मुख्य निर्माण अभियन्ता  
एन.पी.सी.आई.एल. बांसवाड़ा